**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1487**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**विदेशियों के लिए निरोध केन्द्र**

**1487. श्री बिनोय विस्वमः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि असम में विदेशियों के लिए निरोध केन्द्र कार्यात्मक हैं;**

**(ख) क्या यह भी सच है कि कर्नाटक, दिल्ली गोवा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, और पंजाब में से किसी भी राज्य में विदेशियों के लिए निरोध केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है;**

**(ग) यदि हां, तो देश भर में निरोध केन्द्रों में वर्तमान में कितने लोग निरूद्ध किए गए हैं और उनके मूल देश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) इन निरोध केन्द्रों में निरूद्ध किए गए लोगों में से कितने लोगों को उनके मूल देशों में प्रत्यावर्तित किया गया है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क): असम राज्य सरकार द्वारा असम के गोलपारा, सिल्चर, कोकराझार, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और तेजपुर में स्थित जेल परिसरों के कुछ हिस्सों को डिटेंशन सेंटर रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) से (घ): विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ङ) और 3(2)(ग) के अंतर्गत केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को निरुद्ध (डिटेन) करने और उनके प्रत्यावर्तन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार एक आदेश के द्वारा ऐसे किसी विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकालने का निर्देश भी दे सकती है जिसने बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश किया है। केंद्र सरकार की ये शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत वर्ष 1958 से सभी राज्य सरकारों को भी सौंपी गई हैं। इसी प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी उपर्युक्त शक्तियों से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करने का निदेश दिया गया है।

**-2-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1487, दिनांक 04.03.2020**

राज्य सरकारें अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए सक्षम हैं, ताकि किसी भी अवैध प्रवासी को अथवा उन विदेशी राष्ट्रिकों को निरुद्ध (डिटेन) किया जा सके, जिन्होंने अपनी जेल की सजा पूरी कर ली है और उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन मूल राष्ट्र में उनके प्रत्यावर्तन से पूर्व किया जाना अपेक्षित है। ऐसे होल्डिंग/डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गृह मंत्रालय से कोई विशेष अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित ऐसे सेंटरों के ब्यौरे केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं।

\*\*\*\*\*\*